कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा अलवर कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांकः शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-ा/12102 (२००-बी)/ सी.भ./बेसिक कम्प्यू.अनू./२०२२ दिनांक ०३.०४.२०२३ के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2022 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अलवर जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.04.2023 एवं दिनांक 12.04.2023 को आयोजित परामर्श शिविर (काउसंलिंग) में पृष्ठांकित सूची में अंकित अनुपरिथत अभ्यर्थियों को प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों में से **बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक** के पद पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विधालयों में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-08 में प्रोबेशनर द्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्स सरकार के आदेशानुसार नियमानुसार नियत मानदेय **18500/–क.** (अठारह हजार पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

- ०१. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- ०२. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
- ०३. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना
- ०४. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(९)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार
- ०५. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियाँ की जावेंगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :-
- काउसंलिंग में अनुपर्श्यित रहने के कारण पृष्ठांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का मिलान कार्यालय स्तर पर नहीं किया गया है। अतः उक्त अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज कार्यालय स्तर पर सत्यापन उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 3. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
- 4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-७(१)डीओपी/ए-१।/९५ दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र ५०/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें।
- 5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जावे।
- 6. विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
- 7. आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- 8. आपके स्तर पर यह भी जॉच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-
- (1) अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।'' यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेत्र इस कार्यालय को भिजवायें।

Signature yalid

Digitally signed by Nekee Ram Designation District ducation

Date: 2023.04.13 4:31:04 IST Reason: Approved



- (2) अन्य पिछडा वर्ग का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति का नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तूत कर्रे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को
- आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार के परिपत्र प.7/1/DOP/A-II@2019 दिनांक 20.10.2019 के अन्तर्गत जारी किया होना चाहिये।
- 10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर, सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता की रिथति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को अविलम्ब सूचना भिजवाई जावे।
- १।. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से ५०/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेत् विभाग स्वतंत्र होगा।
- 12. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में 50/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेवें कि यदि उनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
- 1 3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.७(३)कार्मिक /क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जावें।
- 14. संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर
- 15. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक २०.११.१५ की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यथियों के लिये कार्मिक (क-२) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
- 16. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थियों की सेवा पुस्तिका तैयार कराते समय 10वीं परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर नाम,पिता का नाम एवं जन्मतिथि आदि अंकित करें।
- 17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक <u>04.05.2023</u> त**क कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

(नेकी राम)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर

क्रमांकः-जिशिअ/मुख्या/माशि/अल/संस्था-।/फा-बेसिक कम्प्यू,अनुदेशक भर्ती-2022/2023/71-75 दिनांक 13.04.2023 प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राज्स्थान।

विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं जिल्ला सिंग किर्मा

Digitally signed by Nekee Ram Designation District ducation Officer

Date: 2023.04. 4:31:04 IST Reason: Approved



- प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपूर।
- अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपूर।
- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग,जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान अलवर।
- 10. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अलवर जिला को प्रेषित कर लेख है कि आपके ब्लॉक से संबंधित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित संस्था प्रधानों को उपलब्ध करावें।
- 11. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला अलवर कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवें।
- 12. संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)।
- १३. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
- 14. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर

Signature yalid

Digitally signed by Nelse Ram Designation District Education Officer

Date: 2023.04.13 Reason: Approved 4:31:04 IST



कार्यालय जिल्ला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर क्रमांक :- जिश्रिअ/मख्या/माथ्री/अल/संख्या–1/फा-बेकअनमती 2022/2003/71-75

	ब्लॉक	GOVINDGARH	BEHROR	BEHROR	GOVINDGARH	GOVINDGARH	NEEMRANA	RAINI
दिनाक :- 13-04-2023	पदस्थापन स्थान	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAINSDAWAT (216564)(08061314401)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAGWARI KHURD (216187)(08060105901)	SHAHID SATISH KUMAR GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UNTOLI (216171)(08060102501)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALPUR (216555)(08061311401)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DONGARI (216566)(08061315303)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHILOTH (216227)(08060204501)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL INTOLI (216488)(08061202201)
	चयन वर्ग	GEN	GEN	GEN	GEN	ОВС	OBC	ST
	н сате	ı	ı	ı	I	ı	I	ı
	CATE 🗈	GEN	OBC	GEN-EWS	OBC	OBC	OBC	ST
	जन्मतिथि	06/10/1989	19/10/1994	16/01/2000 GEN-EWS	18/02/1991	20/03/1995	02/04/1993	28/05/1990
	स्थाई पता	D 503 BUDH VIHAR ALWAR - ALWAR pincode 301001 Rajasthan	VPO-SHERPUR TEHSIL-BEHROR - ALWAR pincode 301701 Rajasthan	192/121 SECTOR 19 PRATAP NAGAR JAIPUR pincode 302033 Rajasthan	WARD NO -7 NEAR DULANI KISHAN KUMAR SCHOOL - ALWAR pincode 301404 Rajasthan	41 NEAR UJJWAL ACADEMY SECTOR 4 VIVEKNAND NAGAR ALWAR ALWAR pincode 301001 Rajasthan	WARD NO. 9 LOSAL, LOSAL SONI 332025 Rajasthan	VILLAGE BADH POST BAHARKO KALAN VIA GARHI SAWAI RAM RENI ALWAR pincode 301413 Rajasthan
023 / 71-75	पिता का नाम	BAL KRISHAN CHAWLA	RAVI KUMAR YADAV	RAGHUVEER PRASAD SHARMA	KISHAN KUMAR	RAWAT A K	KAILASH KUMAR SONI	HAR SAHAY MEENA
क्रमाक :— जिशिअ / मुख्या / माशि / अल / सस्था—१ / फा—ब.क.अनु.भती 2022 / 2023 / 71-75	छायाचित्र	O	(B)		and is updetted	PALACE AND		
/ सस्था–1 / फा-	नाम अभ्यर्थी	CHARU RANI	HEMANT KUMAR	ANUJ PARASHAR	GOVIND PRASAD	LOKESH 2927 KUMAR RAWAT	DEEPAK KUMAR SONI	JITENDRA MEENA
गश् / अल	मैरिट नम्बर	364	538	2182	2850	2927	4581	. 9289
मुख्या/म	रोल नम्बर	179329	172769	226087	212590	198151	179585	195009
- নোશস /	SPECIAL	ı	ı	ı	ı	1	ı	1
स्थाकः	ж .स.	1	2	8	4	5	9	7

Signature valid

ee Ram Education 4:31:04 IST Digitally signed by New Designation Nistrict Ed Officer Date: 2023.04, 3 4:31: Reason: Approved



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर

कमांक :- जिशिअ/मुख्या/माशि/अल/संस्था-1/फा-बे.क.अनुभर्ती 2022/2023/71-75

दिनांक :- 13-04-2023

ĺ	1			,				Ì				
₹	ल नम्बर	मैरिट नम्बर	SPECIAL रोल नम्बर मैरिट नम्बर नाम अभ्यर्थी	छायाचित्र	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	CATE 🛭	CATE ☑ H CATE वयन वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
	212500	6460	212500 6460 BHARAT LAL KOLI		RAM LAL KOLI	VILLAGE AND POST SAMOOCHI TEHSIL KATHUMAR - ALWAR pincode 321606 Rajasthan	08/07/1981	SC	ı	SC	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SONKH (216601)(08061406504)	KATHUMAR
	192665	6899	192665 6689 COKESH SAMRIA		GHASI RAM SAMRIA	VPO-GADUWAS TEHSIL- MUNDAWAR - ALWAR pincode 17/01/1995 301401 Rajasthan		SC	1	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KARNIKOT (216259)(08060301701)	MUNDAWAR

Signature yalid

Digitally signed by Newse Ram Designation District Education Officer Date: 2023.04233 4:31:04 IST Reason: Approved

